न्यायमूर्ति एच. एस. बरार , के. एस. कुमारन और स्वतंत्र कुमार, के समक्ष

राम चंदर मोर्या, -याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, -उत्तरदाता

सी. डब्ल्यू. पी. 3353 सन *1993*

5 अगस्त, 1998

औद्योगिक विवाद अधिनियम, *1947* - धारा *10 (1)* - परिसीमा अधिनियम, 1963 - अनुच्छेद 113 और 137 - देरी और अड़चनों के आधार पर उपयुक्त सरकार द्वारा संदर्भ को अस्वीकार करना - धारा 10 (1) कोई अवधि या सीमा निर्धारित नहीं करता है -

परिसीमा अधिनियम, *1963,* आम तौर पर तीन वर्ष-औद्योगिक श्रमिकों को परिसीमा अधिनियम की कठोरता के दायरे में नहीं रखा जा सकता है- परिसीमा की अवधि के अभाव में, न्यायालय कार्रवाई के कारण के संचय के बाद पांच वर्ष का उचित समय निर्धारित करती है, जिसके बाद के दावों को "स्पष्ट रूप से विलंबित" माना जाता है, जैसा कि बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंगित किया गया है - सीमा के ऐसे निर्धारण को व्यापक दिशानिर्देश के रूप में माना जाना चाहिए और जहां कर्मचारी इस देरी के लिए थोड़ा सा भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है, उचित सरकार को संदर्भ से इनकार करने का अधिकार नहीं है- विलंब के प्रश्न का निर्धारण श्रम न्यायालय पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक सीधा सूत्र या कोई कठोर और त्वरित नियम प्रदान करना संभव नहीं है जो उचित अवधि की अभिव्यक्ति को परिभाषित या शामिल करेगा क्योंकि स्पष्ट रूप से यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा; लेकिन साथ ही यह उचित नहीं है कि इसे केवल उपयुक्त सरकार के काम का अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया जाए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वह उचित अवधि क्या है जिसके भीतर एक औद्योगिक विवाद को श्रम न्यायालय या एक उपयुक्त न्यायाधिकरण को भेजा जा सकता है। उपयुक्त सरकार को यह निर्धारित करने के लिए एक दिशानिर्देश प्रदान करना होगा कि किस अवधि को स्पष्ट रूप से विलंबित माना जा सकता है जिसके बाद अधिनियम की धारा 10 के तहत किसी विवाद के संदर्भ से इनकार किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, उपयुक्त सरकार को उस अवधि के बारे में एक दिशानिर्देश प्रदान किया जाना चाहिए जिसके बाद श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण को निर्णय के लिए श्रमिक के दावे के संदर्भ को स्पष्ट रूप से विलंबित होने के आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है।

(पैरा 40)

इसके अलावा, यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि किसी औद्योगिक विवाद के मामले में उपयुक्त सरकार द्वारा श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण को संदर्भित करने के लिए उचित समय, सरकारी कर्मचारियों के लिए सामान्य प्रक्रिया में उपलब्ध सीमा की तुलना में कुछ उदार होना चाहिए।

(पैरा 47)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि विधि के विभिन्न प्रावधानों पर विचार करने के बाद, और उच्चतम न्यायालय द्वारा बंबई पत्रकार संघ और अन्य बनाम बंबई राज्य और एक अन्य, ए. आई. आर. *1964* एस. सी. *1617* में उल्लिखित "स्पष्ट रूप से विलंबित" शब्दों पर विचार करने के बाद, हम केवल यह संकेत देंगे कि एक उपयुक्त सरकार द्वारा श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण को औद्योगिक विवाद के संदर्भ के मामले में उचित समय पांच वर्ष का होगा। दूसरे शब्दों में, यदि कोई औद्योगिक कर्मचारी या संघ या श्रमिक की ओर से कोई अन्य व्यक्ति उपयुक्त व्यक्ति को आवेदन नहीं करता है।

सरकार अधिनियम की धारा 10(1) के अधीन किसी औद्योगिक विवाद को पांच वर्ष की अवधि के लिए श्रम न्यायालय अथवा अधिकरण को भेजने तथा पांच वर्ष से अधिक विलंब के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं देने के लिए पांच वर्ष की अवधि से अधिक के विलंब को स्पष्ट रूप से विलंबित माना जाएगा।

(पैरा 48)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि हम यहां सावधानी का एक नोट छोड़ते हैं कि यदि कोई कर्मचारी या संघ अपने विवाद को श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण को संदर्भित करने के लिए उपयुक्त सरकार को अपना अनुरोध प्रस्तुत करने में देरी के लिए थोड़ा भी स्पष्टीकरण देता है तो उपयुक्त सरकार विलंब के प्रश्न का निर्धारण श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण पर छोड़ देगी। इसके बाद श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण का प्रांत अपने समक्ष रखी गई प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने के बाद आवेदन दायर करने में उचित देरी के सवाल पर फैसला करेगा।

(पैरा 49)

हरफुल सिंह बरार, न्यायमूर्ति

(1) सिविल रिट याचिका संख्या 3353 सन 1993, 945 सन 1995 और 6791 सन 1992 का निर्णय इस सामान्य निर्णय द्वारा किया जा रहा है क्योंकि तीनों मामलों में कानून का एक समान प्रश्न शामिल है। हमें प्रत्येक मामले के तथ्यों में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन सभी याचिकाओं में हरियाणा राज्य सरकार के विलंब और विलंब के आधार पर विवादों को श्रम न्यायालय में भेजने से इनकार करने के आदेश को रद्द करने के लिए एक समान प्रार्थना की गई है।

(2) नीचे उल्लिखित संक्षिप्त तथ्य सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 3353 सन 1993 से लिए गए हैं।

(3) याचिकाकर्ता को 1 मई, 1980 से थर्मल पावर हाउस, एच.एस.ई.बी., फरीदाबाद में प्रतिवादी संख्या 3 के साथ टी-मेट कार्यभार के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी सेवाओं को 31 जुलाई, 1980 को समाप्त कर दिया गया था और उसके बाद उन्हें फिर से दैनिक वेतन पर सेवा में ले लिया गया था, लेकिन 16 नवंबर, 1984 को उनकी सेवाओं को फिर से समाप्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता की सेवाओं को प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा बिना किसी कारण के समाप्त कर दिया गया था और याचिकाकर्ता को कोई आरोप-पत्र नहीं दिया गया था और न ही कोई जांच की गई थी। याचिकाकर्ता की सेवाओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 एफ (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाता है) का अनुपालन किए बिना समाप्त कर दिया गया था। अपनी सेवाओं की समाप्ति के बाद, याचिकाकर्ता ने आगे आरोप लगाया है कि उसने सेवाओं की समाप्ति के खिलाफ 6 नवंबर, 1985 को उपायुक्त का रुख किया और फिर 24 अक्टूबर, 1989 को अध्यक्ष, एचएसईबी, पंचकूला को एक अनुस्मारक पत्र भेजा था। इसके अलावा उन्होंने 23 अगस्त, 1989 को भारत के प्रधान मंत्री को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई। अंततः, याचिकाकर्ता के अनुसार, जब संबंधित अधिकारियों से कुछ सुनवाई नही हुई, तो उन्होंने एक मांग नोटिस दिनांकित 11 अक्टूबर, 1991, जिसका संकेत अनुबंध पी -9 से उपलब्ध है, अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत निर्णय के लिए याचिकाकर्ता के मामले को अस्वीकार करने का आदेश दिया, जिसे याचिका के साथ अनुलग्नक पी -7 के रूप में संलग्न किया गया है।

(4) 22 नवंबर, 1992 को श्रम विभाग में हरियाणा सरकार के संयुक्त सचिव ने याचिकाकर्ता के विवाद को श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण को भेजने से इनकार कर दिया। संयुक्त सचिव का 24 जनवरी, 1992 का आदेश याचिका के साथ अनुलग्नक पी-9 के रूप में संलग्न है। याचिकाकर्ता के विवाद को श्रम न्यायालय में भेजने से इनकार करने वाले संयुक्त सचिव के 24 जनवरी, 1992 के आदेश को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई है, लेकिन इन याचिकाओं में हमारे सामने निर्धारण के लिए एकमात्र सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार/उपयुक्त सरकार अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत औद्योगिक विवाद को केवल देरी और बाधाओं के सवाल पर निर्धारण के लिए श्रम न्यायालय के रूप में औद्योगिक न्यायाधिकरण को भेजने से इनकार कर सकती है; विशेष रूप से जब अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत इसके लिए कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई है।

(5) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि राज्य सरकार याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए औद्योगिक विवादों को केवल इस आधार पर श्रम न्यायालय को भेजने से इनकार नहीं कर सकती थी कि याचिकाकर्ताओं की ओर से विवाद उठाने में देरी हुई थी, (सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 3353 सन 93 में देरी 7 साल है, सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 945 सन 95 में 6 साल है और सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 6791 सन 92 में 5 साल है), विशेष रूप से जब उपयुक्त सरकार द्वारा श्रम न्यायालय को औद्योगिक विवाद के संदर्भ के लिए अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई थी।

(6) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने अपने तर्क को आगे विस्तार से प्रस्तुत करते हुए कहा है कि जानबूझकर विधानमंडल ने अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत कार्यरत अधिकारियों को औद्योगिक विवादों के संदर्भ के लिए कोई सीमा प्रदान नहीं की है, जबकि विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, उसी अधिनियम की धारा 33 ग के तहत नियोक्ता से धन की वसूली के लिए आवेदन करने के लिए एक वर्ष की सीमा प्रदान की गई है। इसी प्रकार, धारा 25 ओ के अंतर्गत किसी ऐसे नियोक्ता के लिए 90 दिनों की सीमा का प्रावधान किया गया है, जो किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के उपक्रम को निर्धारित तरीके से उस तारीख से कम से कम नब्बे दिन पहले पूर्व अनुमति के लिए बंद करना चाहता है, जिस तारीख को इसे बंद किया जाना है।

विद्वान वकील तर्क करते है कि किसी भी मामले में जब अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत कोई सीमा प्रदान नहीं की जाती है, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, तो प्रतिवादी संख्या 3 यानी थर्मल पावर हाउस फरीदाबाद, एच. एस. ई. बी., अपने मुख्य अभियंता/राज्य सरकार के माध्यम से याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करने में सक्षम नहीं था। उसने अपने विवाद को केवल देरी और विलंब के आधार पर श्रम न्यायालय को भेजा था। विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क को साबित करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारियों का हवाला दिया हैः—

मुख्य खनन अभियंता, मैसर्स ईस्ट इंडिया कोल कंपनी लिमिटेड, बरारी कोलियरी धनबाद

बनाम रामेश्वरंद और अन्य[1], नगर नगर परिषद, अतफियानी बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, हुबली और अन्य[2], नित्यानंद, एम. जोशी और अन्य बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम[3], प्रबंधन, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद बनाम वासुदेव अनंत भिडे आदि[4], क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बनाम मेसर्स केटी रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड[5], श्री जगतप सिंह बनाम अतिरिक्त निदेशक, होल्डिंग्स पंजाब, जालंदूर का समेकन और एक अन्य[6] और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का प्रबंधन बनाम सुश्री नीलम कुमारी और एक अन्य [7]

(7) इस मुद्दे पर चर्चा करने से पहले, आई. आई. टी. अधिनियम की धारा 10 (1) को फिर से प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो निम्नानुसार है:—

"10. बोर्डों, न्यायालयों या न्यायाधिकरणों को विवाद का संदर्भ-*(1)* जहां उपयुक्त सरकार की राय है कि कोई औद्योगिक विवाद मौजूद है या पकड़ा गया है, वह किसी भी समय, लिखित में आदेश द्वारा -

(क) विवाद को उसके निपटारे को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड को भेजें; या

(b) विवाद से संबंधित या प्रासंगिक प्रतीत होने वाले किसी भी मामले को जांच के लिए न्यायालय को भेजें; या

(c) विवाद या विवाद से संबंधित या उससे प्रासंगिक प्रतीत होने वाले किसी मामले को, यदि वह दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी मामले से संबंधित है, न्यायनिर्णयन के लिए श्रम न्यायालय को भेजें; या

(d) विवाद या विवाद से संबंधित या उससे प्रासंगिक प्रतीत होने वाले किसी मामले को, चाहे वह दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी मामले से संबंधित हो, न्यायनिर्णयन के लिए न्यायाधिकरण को भेज देगा।

परन्तु जहां विवाद तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी मामले से संबंधित है और इससे सौ से अधिक कर्मकारों के प्रभावित होने की संभावना नहीं है, वहां समुचित सरकार, यदि वह उचित समझे, खंड (ग) के अधीन श्रम न्यायालय को संदर्भित कर सकती है:

बशर्ते कि जहां विवाद एक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा से संबंधित है और धारा 22 के तहत एक नोटिस दिया गया है, तो उपयुक्त सरकार, जब तक कि यह नहीं मानती कि नोटिस तुच्छ या खेदजनक रूप से दिया गया है या ऐसा करना अनुचित होगा, इस उप-धारा के तहत एक संदर्भ देगी, भले ही विवाद के संबंध में इस अधिनियम के तहत कोई अन्य कार्यवाही शुरू हो गई हो:

बशर्ते कि जहां विवाद जिसके संबंध में केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार है, वहां सरकार के लिए यह सक्षम होगा कि वह विवाद को राज्य सरकार द्वारा गठित श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण को भेज सकती है।"

(8) चीफ माइनिंग इंजीनियर, मेसर्स ईस्ट इंडिया कोल कंपनी लिमेटिड बरारी कोलियरी धनबाद *(उपरोक्त)* के मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि श्रम न्यायालय के समक्ष धारा 33 सी (2) के तहत किए गए आवेदनों को श्रम न्यायालय द्वारा परिसीमा या अवरोध के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि परिसीमा अधिनियम में प्रदान की गई सीमा की अवधि को धारा 33 सी (2) के प्रावधानों में शामिल करने का कोई औचित्य नहीं था, जो कोई सीमा निर्धारित नहीं करते हैं और ऐसा प्रावधान विधायिका द्वारा केवल तभी किया जा सकता है जब वह उचित समझे और यह न्यायालय द्वारा किसी सादृश्य या ऐसे किसी अन्य विचार पर निर्धारित नही किया जा सकता है।

(9) इसके साथ ही, उच्चतम न्यायालय ने एक न्यायाधिकरण के समक्ष एक औद्योगिक विवाद के निर्णयन और अधिनियम की धारा 31 सी (2) के तहत किए गए आवेदन के निर्णयन के बीच अंतर किया है। निर्णय का प्रासंगिक भाग जो उस भेद को रेखांकित करता है, तैयार संदर्भ के लिए यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है:—

"ये आवेदन 1962 में किए गए थे, हालांकि वे 1948 से शुरू होने वाले वर्षों और उसके बाद के दावों से संबंधित थे। इसलिए विवाद यह था कि इन दावों के कुछ हिस्से को, किसी भी तरह से, या तो सीमा द्वारा या श्रमिकों की ओर से बाधाओं के कारण वर्जित माना जाना चाहिए। इस विवाद का उत्तर स्पष्ट रूप से बॉम्बे गैस कंपनी, 1964-3 SCR 709 = (AIR 1964 SC 752)

---

1 ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 218
2 1969 (1) एस. सी. सी. 873
3 1969 (2) एससी. सी. 199
4 1969 (2) एस. सी. सी 491
5 1995 (3) आर. एस. जे. 64
6 1984 पी. एल. आर. 364
7 1993 (2) पी. एल. आर. 552

(उपरोक्त) के मामले में प्रदान किया गया है, जहां उन विचारों के बीच अंतर किया गया था जो एक औद्योगिक निर्णय में प्रबल होंगे और जो धारा 33C (2) जैसे वैधानिक प्रावधान के तहत दायर मामले में प्रबल होने चाहिए। इस न्यायालय ने कहा कि जहां एक औद्योगिक विवाद पर सामाजिक न्याय के आधार पर विचार किया जाता है और इसलिए एक न्यायाधिकरण ऐसे मामले में देरी या विलंब जैसे कारकों को ध्यान में रखेगा, ऐसे विचार एक वैधानिक प्रावधान के तहत किए गए दावों के लिए अप्रासंगिक हैं जब तक कि ऐसा प्रावधान किसी भी सीमा की अवधि को निर्धारित नहीं करता है।"

(10) नगर नगर परिषद, अथानी (ऊपरोक्त) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 137 अधिनियम की धारा 33 सी (2) के तहत आवेदनों पर लागू नहीं होता है और ऐसे आवेदनों के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

(11) नित्यानंद, एम. जोशी और अन्य बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य *(ऊपरोक्त)* और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद द्वारा प्रबंधन बनाम वासुदेव अनंत भिडे आदि (ऊपरोक्त) के मामले भी उसी विचार को दोहराते हैं जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने टाउन म्यूनिसिपल काउंसिल, अथानी के मामले *(ऊपरोक्त)* में लिया है।

(12) क्षेत्रीयभविष्य निधि आयुक्त के मामले (उपरोक्त) में, सर्वोच्च न्यायालय, महाराष्ट्र के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आयुक्त) के आदेश पर विचार कर रहा था, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 14-बी के तहत शक्ति के प्रयोग में योगदान के भुगतान में चूक के लिए प्रतिवादी पर हर्जाना लगाया गया था। यह उपरोक्त अधिनियम की धारा 14-बी को पुनः प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक होगा जो निम्नानुसार हैः—

> "**14-B.** क्षति की वसूली करने की शक्ति— जहां कोई नियोक्ता निधि, परिवार पेंशन निधि या बीमा निधि में किसी योगदान के भुगतान में या धारा 15 की उप-धारा (2) या धारा 17 की उप-धारा (एस) के तहत उसके द्वारा हस्तांतरित किए जाने के लिए आवश्यक संचय के हस्तांतरण में या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान या किसी योजना या बीमा योजना के तहत देय किसी भी शुल्क के भुगतान में या धारा 17 के तहत निर्दिष्ट किसी भी शर्त के तहत चूक करता है, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या ऐसा ईथर अधिकारी, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किया जाए, इस संबंध में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियोक्ता से ऐसे जुर्माने के रूप में वसूली कर सकता है, जो बकाया राशि से अधिक नहीं है, जो योजना में निर्दिष्ट की जा सकती हैः
>
> बशर्ते कि इस तरह के नुकसान को वसूलने और वसूल करने से पहले, नियोक्ता को सुनवाई का एक उचित अवसर दिया जाएगाः
>
> बशर्ते कि केंद्रीय बोर्ड एक ऐसे प्रतिष्ठान के संबंध में इस धारा के तहत लगाए गए नुकसान को कम या माफ कर सकता है जो एक बीमार औद्योगिक कंपनी है और जिसके संबंध में बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (1 सन 1986) की धारा 4 के तहत स्थापित औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा पुनर्वास के लिए एक योजना को मंजूरी दी गई है, जो ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन है जो योजना में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।"

(13) यह स्वीकृत है कि धारा 14-B में नियोक्ता से क्षति की वसूली के लिए संबंधित प्राधिकारियों की शक्तियों पर कोई परिसीमा निर्धारित नहीं की गई है। उपर्युक्त लिखित फैसले में उत्तरदाता-नियोक्ता ने अपने स्वयं के और साथ ही कर्मचारियों के योगदान को समय पर जमा करने में चूक की थी। आयुक्त ने देरी की अवधि के साथ-साथ मात्रा पर अपना दिमाग लगाने के बाद, हर्जाने के रूप में 52,034.80 रुपये का हर्जाना राशि लगाई। आयुक्त के आदेश को उस मामले में प्रतिवादी द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिन्होंने आदेश को केवल इस आधार पर रद्द कर दिया था कि कार्यवाही शुरू करने में अनुचित देरी के कारण खराब थी। उच्च न्यायालय ने हालांकि यह भी कहा कि धारा 14-बी ने इसकी परिसीमा की कोई अवधि निर्धारित नहीं की है, परन्तु फिर भी इस शक्ति का उपयोग उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए। चूंकि चूक जुलाई 1968 से अक्टूबर 1977 की अवधि से संबंधित थी, जिसके संबंध में 1985 में कार्यवाही शुरू की गई थी, इसलिए उच्च न्यायालय ने देरी को अनुचित माना, और इसलिए, घातक माना। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने सुप्रीम कोर्ट में अपील को प्राथमिकता दी। मामले के तथ्यों को देखने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धारा 14-बी के तहत कार्रवाई करने में देरी को पूरी तरह से समझाया गया था और इस प्रकार, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अपील को स्वीकार करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।

(14) यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः—

> "कानून में इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि जब कोई शक्ति कानून द्वारा उस अवधि का उल्लेख किए बिना प्रदान की जाती है जिसके भीतर उसे लागू किया जा सकता है, तो उसे उचित अवधि के भीतर किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी शक्तियों का उचित रूप से प्रयोग किया

जाना चाहिए, और उचित अवधि के भीतर इसका प्रयोग उचित अवधि का एक पहलू होगा जो तर्कसंगतता का एक पहलू होगा।"

(15) अन्य प्राधिकारी अर्थात श्री जगतार सिंह बनाम अतिरिक्त निदेशक, भूखण्ड की चकबन्दी पंजाब, जालंधर और एक अन्य *(ऊपरोक्त)* और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का प्रबंधन बनाम सुश्री नीलम कुमारी और एक अन्य *(ऊपरोक्त)* जिस पर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने भरोसा किया है, इस न्यायालय द्वारा निर्णित हैं।

(16) श्री जगतार सिंह के मामले *(ऊपरोक्त)* में, पूर्ण पीठ के समक्ष विचार और निर्णय के लिए एक संक्षिप्त कानूनी प्रश्न यह था कि क्या नियमों के नियम 18 के तहत परिसीमन की सीमा अधिनियम की धारा 42 के तहत दायर याचिका पर भी प्रतिबन्ध लागू होगा, जिसमें अधिनियम के तहत किसी अधिकारी द्वारा तैयार या पुष्टि की गई या पुन: विभाजन किया गया है।

अधिनियम की धारा 42 और नियमों के नियम 18 के प्रावधानों पर ध्यान देना उचित होगा जो निम्नानुसार हैं:—

> "42.—राज्य सरकार की कार्यवाही करने की शक्ति- राज्य सरकार किसी भी समय इस अधिनियम के तहत किसी भी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश, तैयार की गई या पुष्टि की गई योजना या पुनर्विभाजन की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से, ऐसे अधिकारी द्वारा लंबित या निपटाए गए किसी भी मामले के रिकॉर्ड की मांग और जांच कर सकती है या उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे।
>
> बशर्ते कि किसी भी आदेश, योजना या पुनर्विभाजन को इच्छुक पक्षों को उपस्थित होने और सुनवाई का अवसर दिए बिना बदला या उलट नहीं किया जाएगा, सिवाय उन मामलों के जहां राज्य सरकार का समाधान हो कि कार्यवाही गैरकानूनी विचार से दूषित हो गई है।"

*(*नियम ***18)***

> "18. धारा 42 के तहत आवेदन के लिए सीमा- धारा 42 के तहत एक आवेदन उस आदेश की तारीख के छह महीने के भीतर किया जाएगा जिसके खिलाफ इसे दायर किया गया है:
>
> बशर्ते कि सीमा की अवधि की गणना करने में आदेशों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में बिताए गए समय और आवेदन के साथ धारा 21 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के तहत दायर अपील के आधार, यदि कोई हों, को बाहर रखा जाएगा:
>
> बशर्ते कि किसी आवेदन को उसके लिए निर्धारित सीमा की अवधि के बाद स्वीकार किया जा सकता है यदि आवेदक धारा 42 के तहत कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर आवेदन नहीं करने का पर्याप्त कारण था।"

(17) विचाराधीन मामले पर विचार करने के बाद पूर्ण पीठ के माननीय न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया कि नियमों का नियम 18 उन याचिकाओं पर लागू नहीं होता है जिनमें तैयार की गई या पुष्टि की गई या फिर से किए गए विभाजन की योजना की वैधता या वैधता को चुनौती दी गई है।

(18) हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मामले *(ऊपरोक्त)* के प्रबंधन में, इस न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा यह अवलोकन किया गया है जिसे निम्नानुसार फिर से प्रस्तुत किया गया है:

> "चूँकि औद्योगिक विवाद अधिनियम, संदर्भ देने, या औद्योगिक विवाद उठाने या औद्योगिक विवाद का निर्णय लेने के लिए कोई सीमा प्रदान नहीं करता है, इसलिए भारतीय सीमा अधिनियम के प्रावधानों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों में शामिल नहीं किया जा सकता है, जो अपने आप में एक पूर्ण संहिता है।भारतीय सीमा अधिनियम के प्रावधानों को औद्योगिक विवाद अधिनियम में शामिल करने से, किसी भी तकनीकीता के बिना त्वरित, सरल सीधा उपचार प्रदान करने और दीवानी न्यायालयों की कहावत देरी से बचने के अधिनियम का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।"

(19) निर्णय के बाद के भाग में, यह निम्नानुसार देखा गया है:—

> "अंत में, हम यह कहने का प्रयास कर सकते हैं कि हम यह देखने से खुद को रोक नहीं सकते हैं कि जैसा कि ऊपर देखा गया है, औद्योगिक विवाद उठाने के लिए संदर्भ देने के लिए सीमा की कोई अवधि नहीं है, क्योंकि प्राधिकरण का मूल उद्देश्य या विचार समाज के हित में औद्योगिक शांति बनाए रखना है और अधिनियम श्रमिकों के लिए फायदेमंद है। हम यह जोड़ना जल्दबाजी कर सकते हैं कि विवाद को उठाने में अत्यधिक देरी के परिणामस्वरूप अन्यायपूर्ण परिणाम उत्पन्न होंगे और यह औद्योगिक दलीलों के लिए प्रतिकूल साबित हो सकता है। विवाद उठाने में एक कार्यकर्ता की निष्क्रियता उसे राहत से वंचित कर सकती है और दावेदार या आवेदक की निष्क्रियता के लिए कोई प्रीमियम की अनुमति नहीं दी जा सकती है। किसी को अपनी गलती का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"

(20) दूसरी ओर, प्रतिवादीगण के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि राज्य/उपयुक्त सरकार केवल विलंब और देरी के आधार पर धारा 10 (1) के तहत एक औद्योगिक विवाद के संदर्भ को अस्वीकार करने में सक्षम है। उन्होंने इस न्यायालय के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया हैः—

> पंजाब राज्य बनाम श्री काली दास और एक अन्य[8], पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड, पटियाला बनाम पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय, भटिंडा और एक अन्य[9], प्रेम सिंह और अन्य बनाम श्रम आयुक्त पंजाब, सेक्टर *17*, चंडीगढ़ और अन्य[10], बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और अन्य बनाम बॉम्बे राज्य और एक अन्य [11]।

(21) काली दास के मामले (ऊपरोक्त) में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत एक याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि श्रम न्यायालय द्वारा प्रतिवादी-काली दास को कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए थी क्योंकि मांग नोटिस स्वयं सेवा की कथित समाप्ति के सात साल से अधिक समय बाद दिया गया था। मामले पर विचार करने के बाद, खंड पीठ ने कहा कि कर्मचारी को सेवा की समाप्ति के तीन साल से अधिक समय के बाद श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और अंततः श्रम न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया गया।

(22) इसी प्रभाव के लिए अन्य न्यायिक निर्णय पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड, पटियाला बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, भटिंडा और ऐक अन्य *(ऊपरोक्त)* इसी न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया है।

(23) प्रेम सिंह और अन्य के मामले (उपरोक्त) में, इस न्यायालय की एक खंड पीठ को यह निर्णय लेने के लिए योजित किया गया था कि क्या परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 137 के अवशिष्ट प्रावधान औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 के तहत एक संदर्भ पर लागू होते हैं और यदि वे लागू नहीं होते हैं तो क्या विलंब/विलंब अधिनियम की धारा 10 के तहत एक संदर्भ को अस्वीकार करने के लिए एक वैध आधार है। डिवीजन बेंच ने मामले पर विचार करने के बाद कहाः—

> "इस प्रकार, संक्षेप में, यह माना जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत संदर्भ देने के लिए परिसीमा की कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है और परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उपयुक्त सरकार को विवादों को जल्द से जल्द संदर्भित करना चाहिए और यह उक्त सरकार के लिए खुला है कि यदि यह समय की लंबी अवधि पश्चात उठाया गया है या उसके बाद उठाए जाने की मांग की गई है तो वह संदर्भ को अस्वीकार कर सकती है। जब कोई विवाद पुराना हो जाता है ताकि सरकार द्वारा निर्णय के लिए उसे भेजने से इनकार करने का औचित्य साबित किया जा सके, तो यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, जिसमें से उपयुक्त सरकार संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन एकमात्र न्यायालय होगी।"

(24) बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और अन्य निर्णय (उपरोक्त) में, धारा 10 के दायरे पर चर्चा करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की हैः—

> “यदि किया गया दावा स्पष्ट रूप से तुच्छ है या स्पष्ट रूप से विलंबित है, तो उपयुक्त सरकार संदर्भ देने से इनकार कर सकती है।”

(25) इस मामले पर आगे चर्चा करने से पहले, हम उच्चतम न्यायालय के दो अन्य वाद निर्णयों पर समीक्षा करना चाहते है जो है, ग्राम पंचायत, गाँव कनोंदा, तहसील बहादुरगढ़, जिला रोहतक, अपने सरपंच के माश्यम से बनाम निदेशक, चकबनदी समायोजन, हरियाणा, चंडीगढ़ और अन्य[12] और दूसरा है ग्राम पंचायत काकरान बनाम अतिरिक्त समेकन निदेशक और एक अन्य[13] ।

(26) ग्राम पंचायत, ग्राम कनोंदा, तहसील बहादुरगढ़, जिला रोहतक, अपने सरपंच के माध्यम से *(ऊपरोक्त)*, के मामले में श्री जगतर सिंह बनाम अतिरिक्त निदेशक, होल्डिंग्स पंजाब, जालंधर और एक अन्य *(ऊपरोक्त)* के मामले पर भी विचार किया गया था। उस मामले में अधिनियम की धारा 42 और पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन की रोकथाम) नियम, 1949 के नियम 18 के प्रावधानों के तहत एक आवेदन पर विचार करने के लिए सीमा के सवाल पर विचार किया गया था। पूर्ण पीठ के निर्णय में जहां तक यह अभिनिर्धारित किया गया था कि तैयार की गई या पुष्टि की गई या पुनर्विभाजन की गई योजना के

---

8 1997 (2) आर. एस. जे. 240
9 1991 (2) आर. एस. जे 560
10 1994 (1) आर. एस. जे 690
11 ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1617
12 जे. टी 1989 (4) एस. सी. 357
13 जे. टी 1997 (8) एस. सी. 430

खिलाफ धारा 42 के तहत पुनरीक्षण शक्ति के प्रयोग के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई थी, इसकी पुष्टि की गई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रासंगिक भाग को पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और इसे एतद्द्वारा निम्नानुसार फिर से प्रस्तुत किया जाता हैः—

> "यह निस्संदेह है कि जब तैयार की गई या पुष्टि की गई या पुनर्विभाजन की गई योजनाओं के खिलाफ धारा 42 के तहत पुनरीक्षण शक्ति के प्रयोग के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है, तो इसका उपयोग उचित समय के भीतर किया जाएगा। प्रत्येक मामले में तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उचित समय क्या है, यह हमेशा तथ्य का सवाल होता है। जब विधायिका ने न्यायिक आदेश द्वारा सीमा की एक विशेष अवधि तय नहीं करने का विकल्प चुना, तो इसे किसी विशेष अवधि तक सीमित करने की अनुमति नहीं है। समय का लंबा अंतराल संशोधन प्राधिकरण के लिए एक उचित मामले में प्राप्त तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में ध्यान में रखना एक तथ्य हो सकता है।सीमा की कोई पूर्ण या सटीक अवधि की भविष्यवाणी या निर्धारण नहीं किया जा सकता था।"

(27) ग्राम पंचायत काकरान के मामले (उपरोक्त) में, ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम, 1949 की धारा 42 और ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स (विखंडन की समेकन और रोकथाम) नियम, 1949 के नियम 18 की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि देरी के लिए किसी भी संतोषजनक स्पष्टीकरण के बिना 40 वर्षों के बाद किए गए आवेदन को धारा 42 के तहत उचित देरी नहीं माना जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के प्रासंगिक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-—

> "ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन की रोकथाम) नियम, 1949 का नियम 18 निर्धारित करता है कि धारा 42 के तहत एक आवेदन उस आदेश की तारीख के छह महीने के भीतर किया जाएगा जिसके खिलाफ इसे दायर किया गया है।
>
> उस नियम के दूसरे परंतुक के तहत, सीमा की अवधि के बाद आवेदन को स्वीकार करने की शक्ति है, जिसके लिए आवेदक को अधिकारियों को संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर आवेदन नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण है। दूसरे प्रतिवादी ने जगतार सिंह बनाम अतिरिक्त निदेशक,समेकन ऑफ होल्डिंग्स, जालंधर (एआईआर 1984, पंजाब और हरियाणा 216) के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया है। इस निर्णय में न्यायालय ने कहा था कि नियम 18 के तहत निर्धारित अवधि केवल उन आदेशों के संबंध में लागू होगी जो अधिनियम के तहत पारित किए गए हैं और अधिनियम के तहत तैयार की गई या पुनर्विभाजन वाली योजना पर कोई लागू नहीं होगी। हालांकि, इसे इस रूप में नहीं समझा जा सकता है कि जो पक्ष योजना से असंतुष्ट है या पुनर्विभाजन से अनुचित रूप से लंबे समय के बाद धारा 42 के तहत आवेदन करने में सक्षम है। यहां तक कि जहां सीमा की कोई अवधि निर्धारित नहीं है, वहां पीड़ित पक्ष को उचित समय के भीतर राहत के लिए उचित प्राधिकरण से संपर्क करने की आवश्यकता होती है।"

(28) औद्योगिक विवाद को उचित सरकार द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरण या श्रम न्यायालय को भेजे जाने के बाद औद्योगिक विवाद के संदर्भ चरण में हमारे समक्ष उल्लिखित न्यायिक निर्णयों ने उल्लेख किया है, लेकिन हम इस प्रश्न से चिंतित हैं कि क्या अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत उपयुक्त सरकार औद्योगिक विवाद को निर्धारण के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण या श्रम न्यायालय को भेजने से इनकार कर सकती है। केवल विलंब और विलंब के आधार पर जबकि अधिनियम की धारा 10(1) के अंतर्गत इसके लिए कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई थी।

(29) जैसा कि ऊपर देखा गया है, कुछ प्राधिकरणों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी औद्योगिक विवाद पर किसी भी समय विचार किया जा सकता है क्योंकि अधिनियम के तहत कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई थी। अन्य में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कर्मचारी को अपनी सेवाओं की समाप्ति के तीन साल से अधिक समय के बाद श्रम न्यायालय जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।कुछ अन्य मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यद्यपि कानून के तहत निर्धारित सीमा की कोई अवधि नहीं थी, फिर भी विवाद को उचित समय के भीतर उठाया जा सकता है और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

(30) ऐसा लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया अंतिम आदेश यह है कि जहां कोई सीमा की अवधि नहीं है, वहाँ एक कानून के तहत निर्धारित पीड़ित पक्ष को उचित समय के भीतर उपयुक्त प्राधिकारी को स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है और प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उचित समय हमेशा तथ्य का प्रश्न होता है।

(31) कानून के प्रस्ताव के बारे में कोई विवाद नहीं है कि उपयुक्त सरकार अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत एक संदर्भ देने से इनकार कर सकती है यदि दावा स्पष्ट रूप से विलंबित है।"स्पष्ट रूप से विलंबित" शब्द हम बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और अन्य के मामले *(उपरोक्त)* में सर्वोच्च न्यायालय के

फैसले से लेते हैं।

(32) हमारे संज्ञान में किसी भी प्राधिकरण का हवाला नहीं दिया गया है या नहीं लाया गया है जो 'स्पष्ट रूप से देर से' अभिव्यक्ति को विस्तृत करने के लिए कुछ प्रकाश डाल सके।

(33) इन शब्दों का सामान्य अर्थ जो हम दे सकते हैं वह यह है कि जब कुछ कार्रवाई करने के लिए परिसीमा निर्धारित की जाती है और वह कार्रवाई निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद बिना किसी स्पष्टीकरण के की जाती है, जब यह समझा जाएगा कि आवेदन स्पष्ट रूप से विलंबित है।उदाहरण के लिए किसी नियोक्ता से धन की वसूली के लिए आवेदन करने पर अधिनियम की धारा 33 (सी) के तहत एक वर्ष की सीमा निर्धारित की गई है।यदि आवेदन बिना किसी स्पष्टीकरण के एक वर्ष की सीमा की निर्धारित अवधि के बाद दायर किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि आवेदन स्पष्ट रूप से विलंबित है।इसी तरह, जब सीमा अधिनियम, 1963 के तहत घोषणा के लिए मुकदमा दायर करने के लिए तीन साल की अवधि निर्धारित की जाती है, लेकिन मुकदमा तीन साल से आगे दायर किया जाता है, तो इसके लिए कोई वैध स्पष्टीकरण दिए बिना यह समझा जाएगा कि दायर किया गया मुकदमा स्पष्ट रूप से विलंबित था।

(34) जब क़ानून के तहत सीमा निर्धारित की जाती है तो 'स्पष्ट रूप से विलंबित' अभिव्यक्ति के अर्थ को समझना और समझाना आसान होता है, लेकिन जब क़ानून के तहत कोई सीमा निर्धारित नहीं की जाती है तो इन शब्दों को समझना और लागू करना मुश्किल हो सकता है। उदाहरण के लिए अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत उपयुक्त सरकार के लिए अधिनियम की धारा 10 के तहत किसी औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण या श्रम न्यायालय को भेजने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(35) 4 सबसे पहले, यह निर्धारित करना होगा कि क्या अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत औद्योगिक न्यायाधिकरण या श्रम न्यायालय को किसी औद्योगिक विवाद के संदर्भ के लिए कोई सीमा अवधि निर्धारित की जा सकती है, जब इस धारा के तहत किसी औद्योगिक विवाद के संदर्भ के लिए ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

न्यायाधिकरण या श्रम न्यायालय।हम इस प्रश्न का उत्तर उच्चतम न्यायालय की कुछ आधिकारिक घोषणाओं में पाते हैं।

(36) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के मामले (उपर्युक्त) में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब कोई शक्ति उस अवधि का उल्लेख किए बिना कानून द्वारा प्रदान की जाती है जिसके भीतर उसे लागू किया जा सकता है, तो उसे उचित अवधि के भीतर किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी शक्तियों का उचित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए, और उचित अवधि के भीतर इसका प्रयोग तर्कसंगतता का एक पहलू होगा।

(37) ग्राम पंचायत ग्राम कानोंदा के मामले *(सुप्रा)* में सर्वोच्च न्यायालय पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम, 1949 की धारा 42 के तहत राज्य सरकार की शक्तियों पर विचार कर रहा था, ताकि समेकन अधिकारियों द्वारा किए गए किसी भी आदेश, योजना या पुनर्विभाजन में बदलाव और संशोधन किया जा सके। स्पष्ट रूप से समेकन अधिनियम के तहत इसके लिए कोई सीमा अवधि का प्रावधान नहीं किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अंततः यह अभिनिर्धारित किया कि जब तैयार की गई या पुष्टि की गई या फिर से विभाजित की गई योजना के खिलाफ अधिनियम की धारा 42 के तहत पुनरीक्षण अधिकार के प्रयोग के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है, तो इसका उपयोग उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए।प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उचित समय हमेशा तथ्य का प्रश्न होता है।

(38) ग्राम पंचायत काकरान के मामले *(सुप्रा)* में, जैसा कि ऊपर संदर्भित और विस्तार से चर्चा की गई है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां किसी क़ानून के तहत सीमा की कोई अवधि निर्धारित नहीं है, वहां पीड़ित पक्ष को उचित समय के भीतर उपयुक्त प्राधिकरण को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

(39) जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, उच्चतम न्यायालय की आधिकारिक निर्णयों के आधार पर, हमारा विचार है कि हालांकि किसी औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण या श्रम न्यायालय में संदर्भित करने के लिए अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई है, फिर भी एक उचित अवधि के भीतर उपयुक्त सरकार के समक्ष संदर्भ के लिए आवेदन किया जाना चाहिए और उचित अवधि क्या है, यह प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

(40) एक सीधा सूत्र या कोई कठोर और तेज़ नियम प्रदान करना संभव नहीं है जो उचित अवधि की अभिव्यक्ति को परिभाषित या कवर करे क्योंकि जाहिर है कि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा; लेकिन साथ ही यह उचित नहीं है कि इसे केवल उपयुक्त सरकार के काम का अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया जाए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उचित अवधि क्या है जिसमे एक औद्योगिक विवाद को श्रम न्यायालय या एक उपयुक्त न्यायाधिकरण को भेजा जा सकता है। उपयुक्त सरकार को यह निर्धारित करने के लिए एक दिशा निर्देश प्रदान करना होगा कि किस अवधि को स्पष्ट रूप से विलंबित माना जा सकता है जिसके बाद अधिनियम की धारा 10 के तहत किसी विवाद के

संदर्भ से इनकार किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, उपयुक्त सरकार को उस अवधि के बारे में एक दिशा निर्देश प्रदान किया जाना चाहिए जिसके बाद श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण को निर्णय के लिए श्रमिक के दावे के संदर्भ को स्पष्ट रूप से विलंबित होने के आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है।

(41) सरकार के साथ-साथ निगमों के कर्मचारियों के निलंबन, प्रत्यावर्तन, बर्खास्तगी और बर्खास्तगी को नियंत्रित करने वाली विभिन्न कानून हैं जिनमें मुकदमा, अपील, आवेदन, समीक्षा आवेदन और संशोधन आदि दायर करने के लिए सीमा की अवधि प्रदान की गई है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में कुछ मामलों में सीमा का प्रावधान किया गया है जैसे धारा 33-ग के तहत जब किसी नियोक्ता से कामगार को धन की वसूली की जाती है, तो कामगार अपने देय धन की वसूली के लिए उपयुक्त सरकार को आवेदन कर सकता है। बशर्ते कि ऐसा प्रत्येक आवेदन उस तारीख से एक वर्ष के भीतर किया जाएगा जिस दिन नियोक्ता से कामगार को पैसा देय हो गया था। यह भी प्रावधान किया गया है कि ऐसे किसी भी आवेदन पर एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद विचार किया जा सकता है यदि उपयुक्त सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि आवेदक के पास उक्त अवधि के भीतर आवेदन न करने के लिए पर्याप्त कारण था।

(42) अधिनियम की धारा 10 के तहत उचित सरकार को श्रम न्यायालय या संबंधित औद्योगिक न्यायाधिकरण को संदर्भित करने के लिए कोई सीमा प्रदान नहीं की गई है।

(43) संपूर्ण अधिनियम में इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश नहीं दिया गया है कि उन मामलों में सीमा की अवधि क्या होगी जहां अधिनियम में कोई सीमा प्रदान नहीं की गई है।

(44) हम भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 में अनुच्छेद 113 के रूप में इस प्रकार का प्रावधान पाते हैं जो 'वाद जिसके लिए कोई निर्धारित अवधि नहीं है' शीर्षक के तहत आता है और भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 137 में प्रावधान है कि कोई भी वाद जिसके लिए कोई परिसीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है - जहां अनुसूची में, सीमा उपार्जित करने के अधिकार के तीन साल बाद होगी। भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 137 में प्रावधान है कि कोई भी अन्य आवेदन जिसके लिए इस प्रभाग में कहीं और सीमा की अवधि प्रदान नहीं की गई है, परिसीमा तीन साल होगी जब आवेदन करने का अधिकार प्राप्त होगा।

(45) सरकारी कर्मचारियों को कार्रवाई का कारण प्राप्त होने की तारीख से तीन साल के भीतर घोषणा के लिए दीवानी मुकदमा दायर करके अपनी बर्खास्तगी, बर्खास्तगी आदि को चुनौती देने की आवश्यकता होती है।

(46) इसी तरह, राज्य न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण की अपमानजनक कार्रवाई के खिलाफ एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर की जाने वाली रिट याचिका के लिए, रिट याचिका दायर करने के लिए तीन साल की अवधि को सामान्य अवधि के रूप में लिया गया था।

(47) यहां यह ध्यान रखना उचित है कि एक कारखाने में एक अनपढ़ और गरीब मजदूर के मामले की तुलना उन सरकारी कर्मचारियों के साथ नहीं की जा सकती है जो साक्षर हैं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। यहां तक कि बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स केस (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम की धारा 10 (1) की व्याख्या करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि उचित सरकार धारा 10 (1) के तहत संदर्भ देने से इनकार कर सकती है यदि दावा स्पष्ट रूप से देर से किया गया है। हम मानते हैं कि किसी औद्योगिक विवाद के मामले में उपयुक्त सरकार द्वारा श्रम न्यायालय या अधिकरण को संदर्भित करने के लिए उचित समय सरकारी कर्मचारियों के लिए मुकदमा दायर करने के लिए सामान्य प्रक्रिया में उपलब्ध सीमा की तुलना में कुछ उदार होना चाहिए।

(48) ऊपर बताए गए कानून के विभिन्न प्रावधानों पर विचार करने के बाद, और बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के मामले (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उल्लिखित "स्पष्ट रूप से विलंबित" शब्दों पर विचार करने के बाद, हम केवल यह संकेत देंगे कि एक उपयुक्त सरकार द्वारा श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण को एक औद्योगिक विवाद के संदर्भ के मामले में उचित समय पांच साल का होगा। दूसरे शब्दों में, यदि कोई औद्योगिक कर्मचारी या संघ या श्रमिक की ओर से कोई अन्य व्यक्ति अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत औद्योगिक विवाद को श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण को पांच साल की अवधि के लिए संदर्भित करने के लिए उपयुक्त सरकार को आवेदन नहीं करता है और पांच साल से अधिक की देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, तो पांच साल की अवधि से अधिक की इस देरी को स्पष्ट रूप से विलंबित माना जाएगा।

(49) हम यहां चेतावनी देते हैं कि यदि कोई कामगार या संघ अपने विवाद को श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण के पास भेजने के लिए उपयुक्त सरकार को अपना अनुरोध प्रस्तुत करने में हुई देरी के लिए थोड़ा सा भी स्पष्टीकरण देता है/प्रस्तुत करता है तो उपयुक्त सरकार विलंब के प्रश्न का निर्धारण श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण पर छोड़ देगी। इसके बाद श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण का प्रांत इस पर विचार करने के बाद आवेदन दाखिल करने में उचित देरी के सवाल पर फैसला करेगा। इसके सामने प्रासंगिक सामग्री रखी गई है।अब हम अलग-अलग मामलों पर आते हैं।

(50) सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 3353 सन 1993 में, याचिकाकर्ता ने संयुक्त सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग के 22 नवंबर, 1992 के आदेश को चुनौती दी है, जिसे याचिका के साथ अनुलग्नक पी-*9* के रूप में संलग्न किया गया है, जिसके अनुसार श्रम विभाग में हरियाणा सरकार ने याचिकाकर्ता के मामले को उचित निर्णय के लिए श्रम न्यायालय को इस आधार पर भेजने से इनकार कर दिया था कि मांग नोटिस लगभग सात साल के अंतराल के बाद सरकार को दिया गया था।याचिकाकर्ता द्वारा अपनी याचिका में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि वह विभिन्न प्राधिकरणों के साथ मामले को आगे बढ़ा रहे हैं, इससे पहले कि मांग नोटिस अंततः सरकार को दिया जाए। इसलिये याचिका के पैरा 6 में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

(51) पुनः यह स्थापित कानून है और पूर्ण पीठ मामले (सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 3393 सन 93) में भी हमारे द्वारा ऐसा अभिनिर्धारित किया गया है कि सरकार को कर्मचारी द्वारा दिए गए संदर्भ को अस्वीकार करने से पहले एक मौखिक आदेश पारित करने की आवश्यकता है। इस मामले में दिनांक 22 नवम्बर, 1992 का आदेश, अनुलग्नक पी-9, इन दोनों कमियों से ग्रस्त है, दिनांक 22 नवम्बर, 1992 का आदेश (अनुलग्नक पी-9) इस प्रकार निरस्त किया जाता है और प्रतिवादियों को निर्देश जारी किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के मामले को संदर्भ के लिए अधिनियम की धारा 10 (1) (ए) के तहत हरियाणा राज्य को अग्रेषित करें।

(52) इसी तरह, सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 6791 सन 1992 में, याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती दिए गए आदेश दिनांक 24 मार्च, 1992 का है, जिसे याचिका के साथ अनुलग्नक पी -1 के रूप में संलग्न किया गया है। इस आदेश (अनुबंध पी-1) में, यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता के संदर्भ को अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि इसे पांच साल की अवधि के बाद उपयुक्त प्राधिकरण के समक्ष दायर किया गया था। यह आदेश भी गूढ़ है। संबंधित प्राधिकरण द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है कि याचिकाकर्ता की मांग को संबंधित प्राधिकरण के समक्ष दायर करने में पांच साल की देरी हुई थी। इस मामले में देरी के सवाल पर दोनों पक्षों के साक्ष्य लेने के बाद ही लेबर कोर्ट फैसला कर सकता है। इस प्रकार, दिनांक 24 मार्च, 1992 के आदेश, अनुलग्नक पी-1 को निरस्त किया जाता है और प्रतिवादियों को निर्देश जारी किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के मामले को संदर्भ के लिए अधिनियम की धारा 10 (1) (ए) के तहत हरियाणा राज्य को अग्रेषित करें।

(53) इसी तरह सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 945 सन 1995 में, याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती के तहत आदेश जो दिनांक 30 अक्टूबर, 1994 (अनुलग्नक पी-6) है, अप्रकट है और इसमें ऐसा कोई कारण नही दिया गया कि किस आधार पर यह पाया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा उचित प्राधिकारी के समक्ष विवाद उठाए जाने से पहले छह साल की देरी हुई थी। न तो किसी साक्ष्य पर चर्चा की गई है और न ही किसी तथ्य को इस तरह से संदर्भित किया गया है जो सरकार के लिए यह ठहराने के लिए बाध्यकारी हो सकता है कि याचिकाकर्ता द्वारा सरकार से देर से संपर्क करने, यानी छह साल की अवधि के बाद, के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। दिनांक 30 अक्टूबर, 1994 के इस आदेश, अनुलग्नक पी-6 को भी निरस्त किया जाता है क्योंकि यह अप्रकट और गैर-बोलने वाला है और प्रतिवादीगण को अधिनियम की धारा 10 (1) (ए) के तहत याचिकाकर्ता के मामले को हरियाणा राज्य को भेजने का निर्देश जारी किया जाता है। इस प्रकार, याचिका के इस पैरा में उल्लिखित सभी तीन रिट याचिकाओं स्वीकृत की जाती है।

आर०एन०आर

अस्वीकरण : *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।*

परीक्षित
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
महम, रोहतक,हरियाणा